प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, बारां थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :–2023
   प्र0सू0रि0 संख्या ....206/2023........ दिनांक........31/7/2023........
2. (1) अधिनियम..................धारा– 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)
   (2) अधिनियम..धाराऐं..
   (3) अधिनियम..धाराऐं..
   (4) अन्य अधिनियम एवं .... धाराऐं ....
3. (क) घटना का दिन :– शुक्रवार दिनांक :– 25.02.2022
   (ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांकः 21.01.2022 समय–03.04 पीएम
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....1171........ समय..........6:40 P.M.......
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) थाने से दिशा एवं दूरी–चौकी ए.सी.बी. बारां से करीब 50 कि0मी0 लगभग दक्षिण दिशा।
   बीट संख्या..जुरामदेही सं..
   (ख)पताः कार्यालय वन नाका मोठपुर थाना मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां।
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम..
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
   (क) नाम :– श्री नन्द सिंह
   (ख) पिता/पति का नाम :– श्री सेवाजी गुर्जर
   (ग) जन्म तिथि/उम्र :– 42 साल
   (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (ड़) पासपोर्ट संख्या..................जारी करने की तिथि..........................जारी करने का स्थान
   (च) व्यवसाय – कृषि/मजदूरी
   (छ) पता :– निवासी– ग्राम बरावदी पुलिस थाना मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–
   1. आरोपी श्री राजकुमार पुत्र श्री जयलाल अहेडी जाति अहेडी उम्र 53 साल निवासी ग्राम /पोस्ट नारायण खेडा तहसील शाहाबाद जिला बारां तत्कालीन केटल गार्ड वन नाका मोठपुर जिला बारां (राजस्थान)
8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्यः – 4000रुपये
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

दिनांक 21.01.2022 समय 03.04 पी0एम0 पर परिवादी श्री नन्द सिंह पुत्र श्री सेवाजी गुर्जर उम्र 40 साल निवासी बरावदी थाना मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां ने ब्यूरों कार्यालय बारां मे उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत को इस आशय का पेश किया कि " मै नन्दसिंह गुर्जर निवासी बरावदी थाना मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां का रहने वाला हूं, मे हमारी पैतृक खातेदारी जमीन में इन्द्रा आवास योजना में स्वीकृत मकान बनवा रहा हूं मेरे ट्रेक्टर से केरवालिया के पास लील तलाई से पत्थर ला रहा था तो मोठपुर वन नाका के केटल गार्ड राजकुमार अहेडी का उसका दलाल रमेश गाडरी निवासी मोठपुर ने आज से पांच दिन पहले ट्रेक्टर रूकवा लिया और ट्रेक्टर छोडने के लिए रिश्वत के 4000 रूपये मांगे। मेरे निवेदन पर रिश्वत राशि कम करने की कहने पर 3000रूपये पर राजी हुये और हाथो–हाथ देने का दबाव बनाकर मेरे से तीन हजार रूपये राजकुमार अहेडी केटल गार्ड ने ले लिए और मेरा ट्रेक्टर पत्थरो से भरा हुआ छोड दिया। आज और पत्थर लाने देने के लिए केटलगार्ड राजकुमार अहेडी व दलाल रमेश गाडरी निवासी मोठपुर ने 4000रूपये रिश्वत के और मांग रहे है। जो में रिश्वत के 4000रूपये इनको नही देना चाहता हूं। लील तलाई ग्राम पंचायत की चारागाह भूमि है मेरी राजकुमार अहेडी केटल गार्ड व रमेश गाडरी निवासी मोठपुर से कोई रंजिश नही है और ना ही इनसे कोई लेन देन बाकी है कार्यवाही करने की कृपा करे।" परिवादी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना बताया और प्रार्थना पत्र अपने विश्वसनीय व्यक्ति से लिखवाना बताया और स्वयं के

हस्ताक्षर होना बताया जिसको मैंने बताया की वह इस रिपोर्ट के संबंध में किसी को नही बताये तो परिवादी ने बताया कि मेरा विश्वसनीय व्यक्ति इस रिपोर्ट के बारे में किसी को भी नही बतायेगा। परिवादी श्री नन्द सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव मजमून दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि मे आना पाया जाने पर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से कार्यालय के मालखाने से डी0वी0आर0 निकलवाया गया और परिवादी श्री नन्द सिंह को डी0वी0आर0 संचालन करने, चालू करने, वार्ता रिकॉर्ड करने व बन्द करने की विधि व सत्यापन करवाने की प्रक्रिया समझाई गई। समय 03.20 पी0एम0 पर परिवादी ने बताया कि आज दोपहर बाद का समय हो गया है और आरोपी आज मोठपुर वन नाके पर मिलने की संभावना कम है। परिवादी को सत्यापन कार्यवाही हेतु आरोपी की नाके पर उपस्थिति पता कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अगवत कराने व मामले की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर सकुशल रूखसत किया गया। डीवीआर वापस जमा मालखाना करवाया गया। दिनांक 28.01.2022 समय 12.27 पी0एम0 पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल से परिवादी श्री नन्द सिंह के मोबाईल नम्बर 9660662697 पर फोन कर रिश्वत मांग सत्यापन करवाने बाबत् पूछा तो परिवादी ने बताया कि आरोपी नाका मोठपुर पर नही है। मैं उसका पता कर आपको सूचित कर दूंगा। आज आरोपी व उसके दलाल से मेरी बात होने की कोई संभावना नही है। परिवादी श्री नन्द सिंह को मामले की गोपनीयता बनाये रखने व आरोपी का पता कर सत्यापन कार्यवाही करवाने की हिदायत दी गई। दिनांक 25.02.2022 समय 09.00 ए0एम0 पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर परिवादी श्री नन्द सिंह का कॉल आया व परिवादी ने बताया कि आरोपी आज वन नाके पर ही मौजूद है और मेरी आज वार्ता होने की संभावना है, होने वाली वार्ता के सत्यापन हेतु आपके कार्यालय के कर्मचारी को रिकार्डर लेकर भिजवायें। समय 10.00 ए0एम0 पर श्री लोकेश कुमार कानि0 362 को कार्यालय के मालखाने से डीवीआर निकलवाकर डीवीआर सुपुर्द कर परिवादी श्री नन्दसिंह के मोबाईल नम्बर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने वाट्सअप पर भेजे। कानि0 लोकेश को हिदायत दी गई कि परिवादी से उसके मोबाईल नम्बर पर वार्ता कर उसके बताये स्थान पर पहुंचकर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालू व बन्द करने की समझाईश कर आरोपी से होने वाली वार्ता को रिकार्डर में रिकार्ड करने की प्रक्रिया से अवगत करवाकर सत्यापन करवाने व बाद सत्यापन कार्यवाही परिवादी मय डिजीटल वाईस रिकार्डर के कार्यालय में अविलम्ब आने की हिदायत कर मोठपुर के लिए रवाना किया गया। फर्द सुपूर्दगी डीवीआर पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। समय 12.14 पी0एम0 पर लोकेश कुमार कानि ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि परिवादी श्री नन्द सिंह जी व उनका लडका विनोद मुझे कवाई में मिल गये है। मैने परिवादी को डीवीआर चालू व बंद करने की विधि समझा दी है। इस पर लोकेश कानिस्टेबल के मोबाईल से परिवादी को मेरे द्वारा भी आरोपी से अपने पेण्डिंग कार्य व रिश्वत मांग के बारे में स्पष्ट वार्ता कर डीवीआर में होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने की समझाईश की गई। समय 03.48 पी0एम0 पर परिवादी ने मो नं 9660662697 से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कॉल कर अवगत कराया कि कानिस्टेबल श्री लोकेश से डीजीटल वाईस रिकार्डर लेकर उसे चालू कर मै व मेरा लडका विनोद आरोपी के पास वन नाका कार्यालय मोठपुर पर गये। वहां आरोपित व्यक्ति श्री राजकुमार अहेडी केटल गार्ड से मेरी रिश्वत संबंधी व मैरे काम ट्रेक्टर से पत्थर लाने संबंधी वार्ता हुई जो मैनें डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर ली और एकान्त स्थान पर मैने डीवीआर बंद कर लोकेश जी को दे दिया है। आरोपी ने सत्यापन के दौरान मेरे से 1000रूपये रिश्वत के ले लिये और बाकि के दो हजार रूपये बाद में लेने के लिये राजी हो गया और मैरे जरूरी काम होने से आज मैं आपके कार्यालय नही आ सकता। परिवादी को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रिश्वत राशि का इंतजाम कर आरोपी का मोठपुर वन नाके पर उपस्थिति का पता कर सूचित करने व गोपनीयता बरतने की समझाईश की गई। लोकेश कुमार कानि0 से बात कर परिवादी के कथनों की पुष्टि की गई। समय 06.15 पी0एम0 पर श्री लोकेश कुमार कानि0 362 उपस्थित कार्यालय आया तथा पूर्व में सुपुर्दशुदा डिजीटल वाईस रिकार्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि "मै निर्देशानुसार कार्यालय से रवाना होकर प्राईवेट बस से कवाई गया जहां मुझे परिवादी व उसका बेटा विनोद दोनों मिले। जहां मैने परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालू करने, वार्ता रिकार्ड करने व बन्द करने की विधि समझाई और आपसे बात करवाई फिर वहां से तीनों मोटरसाईकिल से मोठपुर गये। इसके बाद हम तीनों परिवादीगण की मोटर साईकिल से वन नाका कार्यालय मोठपुर से कुछ दूरी पहले रूक गये। जहां से परिवादी के बेटे विनोद ने आरोपी के मोबाईल पर कॉल कर लोकेशन की जानकारी की तो आरोपी ने फिल्ड में जाना बताया व 01 घंटे बाद आने की कहा। इस पर मैं गोपनीय स्थान पर आरोपी के आने के इन्तजार में मुकिम रहा। फिर समय 03.29पी0एम0 पर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर सूपुर्द कर चालू करवाकर परिवादी व उसके बेटे को वन नाका कार्यालय में आरोपी के पास रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु रवाना किया। मै कार्यालय से कुछ दूरी पर ही अपनी उपस्थित छुपाये हुये खडा हो गया। कुछ समय बाद परिवादी व उसका पुत्र मेरे पास आये और बताया कि हमारी राजकुमार अहेडी केटल गार्ड से रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता हो गई व आरोपी को एक हजार रूपये रिश्वत राशि देना भी बताया और दो हजार रूपये रिश्वत के बाद में देना तय हुआ। इस पर मै निर्देशानुसार परिवादी व उसके पुत्र विनोद को बारां कार्यालय में चलने की कहने पर उन्होने कोई काम मे व्यस्त होने से बाद में बुलाने पर आने की कही जिस पर श्रीमान से वार्ता कर परिवादी से बन्दशुदा डिजीटल वाईस रिकार्डर लेकर आया हूँ। जो मैने आपको सुपुर्द किया है" इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक द्वारा जर्ये एयरफोन डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना तो परिवादी व लोकेश कानि0 के कथनों की पुष्टि होना पाया गया। डिजीटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित मालखाना में रखवाया गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से एक फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकार्डर तैयार की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी द्वारा रिश्वत राशि का इंतजाम कर सूचित करने पर आईन्दा ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जावेगा। दिनांक 27.02.2022 समय 09.52 ए0एम0 व समय 10.07 ए0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जर्ये मोबाईल परिवादी श्री नन्दसिंह से मोबाईल नम्बर 9660662697 पर सम्पर्क किया तो परिवादी ने व्यस्त होना बताया। दिनांक 02.03.2022 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जर्ये मोबाईल परिवादी श्री नन्दसिंह से ट्रेप कार्यवाही बाबत् वार्ता की तो परिवादी ने खेती के काम में में व्यस्त होना बताया। दिनांक 29.03.2022 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जर्ये मोबाईल परिवादी श्री नन्दसिंह से वार्ता की तो परिवादी ने गेहूं की फसल काटने में व्यस्त होना बताया और बताया कि राजकुमार अहेडी केटल गार्ड कुछ दिन पहले मेरे घर पर आया था और मुझे पुछा की तुने मेरे खिलाफ एसीबी में कोई कार्यवाही तो नही की है तो मैने उसे मना कर दिया कि मेने तेरे खिलाफ एसीबी में कोई कार्यवाही नही की है। मैंने परिवादी को बताया कि कुछ दिनों पहले एसीबी झालावाड द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है जिसकी अखबार व सोशल मिडिया पर प्रेस विज्ञप्ती व समाचार आये थे इसलिए आपसे पैसे लेने व रिश्वत संबंधी वार्ता होने से आप पर शंका करते हुये वैसे ही पता करने आया होगा। यदि वह आपसे रिश्वत मांगे तो तत्काल मुझे सूचना दे। रिश्वत राशि का इंतजाम कर जल्दी ही कार्यवाही करवाने के बारे में मुझे सूचना देवें तो परिवादी ने फसल से निपट कर संपर्क करने की कहां। परिवादी ने अपने पुत्र विनोद के मोबाइल नम्बर 6367677482 बताये। परिवादी को आरोपी कर्मचारी व उसके दलाल का पता कर ट्रेप राशि लेकर कार्यालय में आने या मोठपुर मय टीम के बुलाने की सूचना मुझे करने की व गोपनीयता बरतने की समझाईश कर आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 18.04.2022 को समय 04.47 पी0एम0 पर परिवादी के पुत्र विनोद के मोबाइल पर कॉल कर परिवादी से वार्ता की तो जानवरो के चारा निकालने में व्यस्त होना बताया व रिश्वत राशि का इंतजाम कर 7–8 दिन बाद कार्यालय में आने की कहां। दिनांक 11.05.2022 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जर्ये मोबाईल परिवादी श्री नन्दसिंह मोबाईल नम्बर 9660662697 पर वार्ता की तो घर पर अकेला होना व परिजन के विवाह समारोह में जाना बताया। पूछने पर बताया कि आरोपी व उसके दलाल ने मेरे से अभी तक कोई सम्पर्क नही किया। परिवादी को आरोपी कर्मचारी व उसके दलाल का पता कर ट्रेप राशि लेकर कार्यालय में आने व गोपनीयता बरतने की समझाईश की गई। दिनांक 17.06.2022 समय 04.21 पी0एम0 पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत ने जर्ये मोबाईल परिवादी श्री नन्दसिंह मोबाईल नम्बर पर वार्ता की तो परिवादी ने हंकाई व खेती के काम में व्यस्त होना बताया। ट्रेप कार्यवाही करवाने की कहने पर काम से निपट कर रिश्वत राशि का इंतजाम कर फोन कर आने की कहा। परिवादी को आरोपी कर्मचारी व उसके दलाल का पता कर ट्रेप राशि लेकर कार्यालय में आने व गोपनीयता बरतने की समझाईश कर आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 05.07.2022 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जर्ये मोबाईल परिवादी श्री नन्दसिंह मोबाईल नम्बर 9660662697 पर वार्ता की तो परिवादी ने व्यस्त होना बताया। परिवादी को आरोपी कर्मचारी व उसके दलाल का पता कर ट्रेप राशि लेकर कार्यालय में आने व गोपनीयता बरतने की समझाईश की गई। दिनांक 25.07.2022 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जर्ये मोबाईल परिवादी श्री नन्दसिंह से उसके मोबाईल नम्बर 9660662697 पर वार्ता की तो परिवादी ने खेत में दवाईयां छिडकने में व्यस्त होना बताया। परिवादी को आरोपी कर्मचारी व उसके दलाल का पता कर ट्रेप राशि लेकर कार्यालय में आने व गोपनीयता बरतने की समझाईश कर आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 22.08.2022 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जर्ये मोबाईल परिवादी श्री नन्दसिंह से उसके मोबाईल नम्बर 9660662697 पर वार्ता की तो परिवादी के पुत्र विनोद ने फोन उठाया व बताया कि मेरे पापा नन्दसिंह जी बाहर किसी काम से गये है। परिवादी के पुत्र को परिवादी के आने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से बात कराने की कहा। दिनांक 01.09.2022 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत ने जर्ये मोबाईल परिवादी श्री नन्दसिंह से मोबाईल नम्बर 6367677482 पर वार्ता की तो परिवादी के पुत्र विनोद ने उठाया। उससे परिवादी से वार्ता कराने की कहने पर उसने परिवादी नन्दसिंह से वार्ता करवाई तो परिवादी ने जल्दी ही बारां कार्यालय में आने की कहा। परिवादी को आरोपी कर्मचारी व उसके दलाल का पता कर ट्रेप राशि लेकर कार्यालय में आने व गोपनीयता बरतने की समझाईश कर आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 15.09.2022 समय 09.04 ए0एम0 पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जर्ये मोबाईल परिवादी श्री नन्द सिंह के मोबाईल नम्बर 9660662697 पर कॉल किया तो उसके लडके विनोद ने कॉल उठाया तथा उसने उसके पिताजी नन्द सिंह को बाहर पावणा (मेहमान) में जाना बताया और वापस गांव आने पर बात कराने की कहा। दिनांक 02.11.2022 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जर्ये मोबाईल परिवादी श्री नन्दसिंह मोबाईल नम्बर 9660662697 कॉल करने पर कॉल नही लगा जिस पर उसके लडके विनोद के नम्बर 6367677482 पर कार्यालय के टेलिफोन नम्बर से कॉल किया तो परिवादी ने पुत्र विनोद ने फोन उठाया तो परिवादी के पुत्र विनोद को अपना परिचय देकर परिवादी नन्दसिंह से बात कराने की कहने पर विनोद ने उसके पिता नन्दसिंह परिवादी से बात कराई तो परिवादी ने मोबाईल नंबर 9660662697 खराब होना बताया। इसके अतिरिक्त पूछने पर बताया कि उसके मिलने वाले दुधवाले बन्टी

गुर्जर से आरोपी के करीब 01 माह पहले स्थानान्तरण हो जाने की जानकारी सामने आई है और बताया कि अब ट्रेप कार्यवाही होने की संभावना नही है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही के लिए बारां आने की कहने पर परिवादी ने खेती के कार्य में व्यस्त होना बताया व 7–8 दिन बाद आने की कहा। दिनांक 14.04.2023 को लोकेश कानि ने बताया कि मैने श्रीमान के निर्देश पर कार्यालय लेण्डलाईन नम्बर से परिवादी श्री नन्दसिंह के मोबाईल नम्बर 9660662697 पर कॉल किया तो परिवादी ने बताया कि वह घरेलू काम में व्यस्त है एक दो दिन में अपनी रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करवाने हेतु एसीबी कार्यालय बारां आने की कहा है। दिनांक 18.04.2023 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जर्ये मोबाईल परिवादी श्री नन्दसिंह के मोबाईल नम्बर 9660662697 पर कॉल किया तो एक महिला ने फोन उठाया जिसे परिवादी नन्दसिंह से बात कराने की कहा तो उसने बताया कि बच्चे की शादी होने से न्यौता देने गये है बाद में कहा की गहने तैयार करवाने गये है व दिनांक 19.04.2023 को नन्दसिंह को दुसरे गांव किसी काम से जाना बताया, नन्दसिंह के आने पर बात कराने का निवेदन किया गया। दिनांक 19.04.2023 को कार्यालय नम्बर से परिवादी के पुत्र विनोद के मोबाईल नम्बर 6367677482 पर वार्ता की तो उसने जयपुर परीक्षा देने जाना बताया तथा दिनांक 01.05.2023 तक आना बताया। दिनांक 17.05.2023 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जर्ये कार्यालय टेलिफोन से परिवादी श्री नन्दसिंह के मोबाईल नम्बर 9660662697 पर कॉल किया तो उसके लडके विनोद ने उठाया। विनोद से वार्ता की तो उसने नन्दसिंह को बाहर गांव में जाना बताया। उसे परिवादी के घर पर आने पर बात कराने की कहा। दिनांक 19.05.2023 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जर्ये लोकेश कानिस्टेबल के मोबाईल से परिवादी श्री नन्दसिंह के मोबाईल नम्बर 9660662697 पर बात करवाई तो लोकेश कानिस्टेबल ने परिवादी से बात करके कहा की परिवादी ने अपने रिश्तेदारी में शादी में बाहर जाना बताया। दिनांक 30.05.2023 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जर्ये कार्यालय टेलिफोन से परिवादी श्री नन्दसिंह के मोबाईल नम्बर 9660662697 पर कॉल किया तो परिवादी ने घरेलु खेतीबाडी के काम में व्यस्त होना बताया अपनी रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही के लिए एक दो दिन में बारां कार्यालय में आने की बताया। दिनांक 08.09.2022, दिनांक 07.10.2022, दिनांक 05.12.2022, दिनांक 24.12.2022, दिनांक 24.02.2023, दिनांक 25.02.2023, दिनांक 10.03.2023 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जर्ये मोबाईल परिवादी श्री नन्दसिंह के मोबाईल नम्बर 6367677482 व 9660662697 पर कॉल किया तो कॉल सम्पर्क नही हो सका। दिनांक 09.06.2023 समय 10.00 ए0एम0 पर परिवादी श्री नन्दसिंह को बार–बार मोबाईल पर बुलाने पर भी नही आने व मोबाईल पर वार्ता करने पर निजी कार्य में व्यस्त होना बता रहा है। परिवादी द्वारा रिपोर्ट दिये हुये एक वर्ष से अधिक समय हो चुका है। अतः परिवादी की उसके गांव तलाश कर उपस्थित मिलने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करने हेतु समझाईश कर श्री लोकेश कुमार कानि0 362 को परिवादी के गांव बरावदी रवाना किया गया। समय 12.52 पी0एम0 पर श्री लोकेश कुमार कानि ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि "मैं इस समय गांव बरावदी में परिवादी श्री नन्दसिंह के घर पर हूं, परिवादी घर पर ही मौजूद है।" जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानिस्टेबल के मोबाईल से परिवादी नन्दसिंह से वार्ता कर कार्यवाही हेतु एसीबी कार्यालय बारां आने की कहां तो परिवादी ने कहां की "मैं कार्यवाही के लिये बारां नही आ सकता हूं मोठपुर आ सकता हूं। जिस पर परिवादी को अपने पुत्र विनोद को साथ लेकर लोकेश कुमार कानिस्टेबल के साथ मोठपुर आने की कहां। समय 01.15 पी0एम0 पर श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 चालक को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां के नाम पत्र क्रमांक 852 दिनांक 09.06.2023 देकर दो स्वतंत्र गवाह साथ लेकर आने हेतु रवाना किया। समय 01.40 पी0एम0 पर श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 चालक पाबन्दशुदा गवाह श्री इरविन हेनरी पुत्र स्व0 श्री जोन हेनरी जाति इसाई उम्र 30 साल निवासी श्रीराम नगर ,अन्ता जिला बारां हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी परिवार कल्याण बारां एवं श्री विकास साहू पुत्र स्व0 श्री रमेश कुमार साहू जाति तेली उम्र 28 साल निवासी तेल फेक्ट्री झालावाड रोड, बारां हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां को साथ लेकर कार्यालय आया। दोनो गवाहो की होने वाली कार्यवाही मे उपस्थित रहने की सहमति चाही तो दोनो गवाहान ने मौखिक तौर पर अपनी अपनी सहमती दी। परिवादी नन्दसिंह द्वारा दिनांक 21.01.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहान को पढकर सुनाया दोनो गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढकर उस पर अपने अपने हस्ताक्षर कियें। समय 02.00 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत, श्री उमाशंकर शर्मा हैड कानि0 125, श्री मनोज कुमार कानि0 211, श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 चालक 530 एंव स्वतंत्र गवाहान श्री ईरविन हेनरी व श्री विकास साहु मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व कार्यवाही में काम मे आने वाले आवश्यक सामग्री के सरकारी वाहन बोलेरो आर0जे0 14 यू डी 1399 के कस्बा मोठपुर रवाना होकर समय 03.27 पी0एम पर पुलिस थाना मोठपुर पहुंचा जहां श्री लोकेश कुमार कानि0 व परिवादी नही मिलने पर श्री लोकेश कुमार कानि से मोबाईल पर बात की तो उसने बताया कि वह मोठपुर कस्बे में ही है उस पर कानिस्टेबल को परिवादी के साथ शीघ्र थाना मोठपुर आने की कहां। इन्चार्ज थाना मोठपुर से कार्यवाही हेतु एक कमरा उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन करने पर थाना परिसर में एक कमरा उपलब्ध करवाया। समय 03.50 पी0एम0 पर श्री लोकेश कुमार कानि0 व परिवादी श्री नन्दसिंह गुंर्जर उपस्थित थाना मोठपुर आये। परिवादी श्री नन्दसिंह को उसके पुत्र विनोद के बारे में पूछा तो उसने सोयाबीन भरवाने में व्यस्त होना बताया। परिवादी का दोनो स्वतंत्र गवाह से परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा पूर्व में बताये अनुसार राजकुमार केटल गार्ड का वन नाका मोठपुर से तबादला होने व

कार्यवाही की भनक लगने से ट्रेप कार्यवाही नही होने से परिवादी ने उसके द्वारा पूर्व में दी गई लिखित रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि " मैने दिनांक 21.01.2022 को मैंरे विश्वसनीय व्यक्ति से लिखवाकर एक प्रार्थना पत्र आपको बारां एसीबी ऑफिस में आकर पेश किया था। आपने दिनांक 25.02.2022 को मैरें कहने पर आपके लोकेश जी कानिस्टेबल को मेरे पास भिजवाया था। मूझे लोकेश जी ने डीवीआर चालू करने, बन्द करने व वार्ता रिकार्ड करने की विधि समझाई थी। लोकेश जी वही एक साईड में रूक गये थें, मैने श्री राजकुमार अहेडी केटल गार्ड के पास वन नाका मोठपुर में मैरे बेटे विनोद के साथ जाकर बात की थी तो श्री राजकुमार अहेडी केरवालिया की लील तलाई में से पत्थर लाने ले जाने के लिये व उनके द्वारा कोई कार्यवाही नही करने की एवज में 3,000रूपये रिश्वत के लेने पर सहमत हुआ और एक हजार रूपये मेरे से राजकुमार ने उसी समय ले लिये व 2,000रूपये बाद में लेने के लिये कहा। मेरे पास उस समय पैसो की व्यवस्था नही होने व मेरे घरेलू व खेती के काम में व्यस्त होने से उसी समय कार्यवाही नही करवा सका। झालावाड एसीबी ने वन विभाग के दो कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की थी जिसके बाद राजकुमार मेरे घर आया और मुझसे कहा कि तुने मेरे खिलाफ एसीबी में कोई कार्यवाही तो नही की है। तो मेने उसे मना कर दिया। उसके बाद राजकुमार ने मुझसे रिश्वत की मांग नही की और मैने भी उससे बाकी के 2,000रूपये नही दिये। कुछ महिने पहले राजकुमार केटल गार्ड का वन नाका मोठपुर से तबादला हो गया है और मेरा मकान का काम भी पुरा हो गया है। इसलिये राजकुमार मुझसे अब रिश्वत नही लेगा।" प्रार्थना पत्र को दोनो स्वतंत्र गवाहान ने पढ़कर प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। समय 04.30 पी0एम0 पर परिवादी श्री नन्दसिंह व दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कार्यालय से साथ लाये सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता जो आरोपी व परिवादी व उसके पुत्र विनोद के साथ दिनांक 25.02.2022 को वन नाका मोठपुर में हुई थी, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री लोकेश कुमार कानि0 362 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री लोकेश कुमार कानि0 362 से हुबहु तैयार करवायी गई। उक्त वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं एक आवाज अपने पुत्र विनोद की व एक आवाज आरोपी श्री राजकुमार केटल गार्ड वन नाका मोठपुर की होना पहचान की। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 06.30 पी0एम0 पर कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 25.02.2022 को परिवादी व रूबरू दोनो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय के लेपटॉप में लोकेश कुमार कानि0 362 से सेव करवाया गया। दोनों गवाहों एवं परिवादी के समक्ष उक्त वार्ता की कार्यालय के लेपटॉप से चार डी0वी0डी0 लोकेश कुमार कानि0 362 से नियमानुसार डब करवायी गई। जिनमें से एक डी0वी0डी0 माननीय न्यायालय के लिए, एक डी0वी0डी0 आरोपी के लिए एवं एक डी0वी0डी0 आवाज नमूना की कार्यवाही के लिऐ कपडे की थेली में पृथक-पृथक रखकर सील मोहर किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये। एक डी0वी0डी0 बिना सील के अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे में रखी गयी। कार्यवाही की फर्द डी0वी0डी0 डबिंग वार्ता व जप्ती डी0वी0डी0 नियमानुसार तैयार कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 08.30 पी0एम0 पर बाद कार्यवाही परिवादी श्री नन्दसिंह गुर्जर को आवश्यक समझाईश कर सकुशल रूखसत किया गया। समय 09.00 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत, श्री उमाशंकर शर्मा हैड कानि0 125, श्री मनोज कुमार कानि0 211, श्री लोकेश कुमार कानि0 362 श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 चालक 530 एंव स्वतंत्र गवाहान श्री ईरविन हेनरी व श्री विकास साहु मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, मय साथ लाये सामग्री मय सीलशुदा आर्टिकल्स डी0वी0डी के सरकारी वाहन से बाद कार्यवाही रवाना होकर समय 11.10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत, मय हमराहीयान मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, मय साथ लाये सामग्री मय सीलशुदा आर्टिकल्स डी0वी0डी के सरकारी वाहन एसीबी कार्यालय बारां पहुंचा। सरकारी वाहन को कार्यालय में सुरक्षित खडा कर ट्रेप कार्यवाही की आवश्यक सामग्री उतराकर कार्यालय में रखवाई 03 सीलशुदा, 01 अनसिल आर्टिकल्स डी0वी0डी0, डी0वी0आर0 कार्यालय के मालखाने में मालखाना प्रभारी श्री इस्माईल है0कानि0 07 को संभलाकर रखवाया गया। समय 11.20 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान श्री ईरविन हेनरी व श्री विकास साहु को बाद कार्यवाही मुनासिफ हिदायत कर सकुशल रूकसत किया।

अब तक की कार्यवाही व हालात् से पाया गया कि दिनांक 21.01.2022 को परिवादी श्री नन्द सिंह पुत्र श्री सेवाजी गुर्जर उम्र 40 साल निवासी बरावदी थाना मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां मोबाईल नम्बर 9660662697 ने ब्यूरों कार्यालय बारां मे उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत को आरोपी राजकुकार कैटल गार्ड के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही हेतु पेश किया। शिकायत का दिनांक 25.02.2022 को गोपनीय सत्यापन कराया गया। शिकायत की पुष्टि रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से हुई है। उसके पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से कई बार लगातार सम्पर्क कर कार्यवाही के लिये प्रोत्साहित किया गया। परिवादी के बारां कार्यालय पर नही आने से दिनांक 09.06.2023 को श्री लोकेश कुमार कानिस्टेबल को परिवादी के गांव बरावदी भेजकर परिवादी का पता कर सूचित करने के निर्देश दिये जाने पर श्री लोकेश कुमार कानिस्टेबल दिनांक 09.06.2023 को परिवादी के घर पहूंचकर परिवादी के घर पर ही होने की सूचना दी व परिवादी से बात करवाई

तो परिवादी ने अपनी रिपोर्ट पर कार्यवाही के लिए बारां आने में असमर्थता व्यक्त की तथा मोठपुर तक आने की सहमति दी जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह मय जाप्ता ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजीटल वाईस रिकोर्डर व कार्यवाही में काम में आने वाली आवश्यक सामग्री के सरकारी वाहन से थाना मोठपुर पहूंचा। जहां परिवादी द्वारा ट्रेप कार्यवाही संभव नही होने के सम्बन्ध में पेश प्रार्थना पत्र के अवलोकन से अब उक्त प्रकरण में ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नही होने से परिवादी व दोनो गवाहन के समक्ष फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, डीवीआर में रिकार्डेड़ वार्ता की डीबीडीयां डब कर फर्द डी0वी0डी0 डबिंग वार्ता व जप्ती तैयार की गई व आवश्यक कार्यवाही थाना मोठपुर में की गई। परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट, दिनांक 25.02.2022 की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व समस्त हालात से पाया गया कि श्री राजकुमार अहेडी केटल गार्ड वन नाका मोठपुर जिला बारां ने परिवादी से दिनांक 21. 01.2022 से पांच दिन पहले परिवादी का ट्रेक्टर रूकवाकर ट्रेक्टर छोडने के लिए रिश्वत के चार हजार रूपये मांगने, परिवादी के रिश्वत राशि कम करने की कहने पर तीन हजार रूपये पर राजी होकर तीन हजार रुपये लेना ,वक्त सत्यापन परिवादी को पत्थर ले जाने की एवज में तीन हजार रूपये की मांग करना एवं एक हजार रूपये वक्त सत्यापन रिश्वत राशि लेना प्रमाणित पाया गया है। आरोपी श्री राजकुमार पुत्र श्री जयलाल अहेडी जाति अहेडी उम्र 53 साल निवासी ग्राम /पोस्ट नारायण खेड़ा तहसील शाहबाद जिला बारां तत्कालीन केटल गार्ड वन नाका मोठपुर जिला बारां (राजस्थान) का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। अतः आरोपी श्री राजकुमार पुत्र श्री जयलाल अहेडी जाति अहेडी उम्र 53 साल निवासी ग्राम /पोस्ट नारायण खेडा तहसील शाहबाद जिला बारां तत्कालीन केटल गार्ड वन नाका मोठपुर जिला बारां (राजस्थान) के विरूद्व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को वास्ते क्रमांकन साद्र प्रेषित है।

भवदीय,

(गोपाल सिंह कानावत)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बारां

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री गोपाल सिंह कानावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राजकुमार पुत्र श्री जयलाल अहेडी, निवासी ग्राम/पोस्ट नारायण खेड़ा, तहसील शाहबाद, जिला बारां तत्कालीन केटल गार्ड, वन नाका मोठपुर, जिला बारां (राजस्थान) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 206/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

31.7.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक:- 2462-65 दिनांक 31.7.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. उप वन संरक्षक, बारां।
3. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां।

31.7.23
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।